तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
01.04.2025	(see below)	

प्र.सं. 70/2024 जीसीएमएस : 2024/203

दीपाराम आदि बनाम कालूराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज.काश्त.अधि.

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम की संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 11 एएस खाता सं. 130 के मु.नं. 47 व 55 की कुल 3.542है. अ.क./कमाण्ड मय खाला का विभाजन कर घरेलू मौखिक विभाजन के अनुसार वादीगण को प्राप्त व कब्जा काश्त की भूमि चक 11 एएस प.नं. 196/468 मु.नं. 47 कि.नं. 9/0.253है. एवं प.नं. 197/469 मु.नं. 55 कि.नं. 4/1,4/2,5/1,5/2, 6/1,6/2,7,14,15/1,15/2 की 1.518है. इस प्रकार कुल 1.771है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज करने के आदेश देने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण जो कि विवादित भूमि में सहखातेदार है ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण अनुतोष स्वीकार डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण मात्र विभाजन के अनुतोष पर मुख्यतः आधारित होने तथा प्रकरण में विशिष्ट किलाजात के संबंध में किसी प्रकार का विरोध नहीं की स्थिति में प्रकरण में तनकीयात/साक्ष्य की आवश्यक्ता नहीं होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पर बहस सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण वाद पत्र वांछित अनुतोष अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा मुख्यतः विभाजन का अनुतोष चाहा है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा चाहे गये किलाजात वादीगण के नाम से दर्ज किये जाने पर सहमति प्रकट की है ऐसी स्थिति में वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रकरण में सहमति होने तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 11 एएस खाता सं. 130 के मु.नं. 47 व 55 की कुल 3.542है. अ.क./कमाण्ड मय खाला का सहखातेदारान वादीगण दीपाराम हिस्सा 157/1288, मंगला राम हिस्सा 157/1288, रूकमा हिस्सा 1291/14168 व रणजीत हिस्सा 2339/14168 का अन्य सहखातेदार/प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जाकर वादीगण को उनके नाम से रिकार्ड दर्ज हिस्सानुसार निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :–

चक 11 एएस प.नं. 196/468 मु.नं. 47 कि.नं. 9/ 0.253है. एवं प.नं. 197/469 मु.नं. 55 कि.नं. 4/1,4/2,5/1,5/2, 6/1,6/2,7,14,15/1,15/2 की 1.518है. इस प्रकार कुल 1.771है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला

उपर्युक्त भूमि पृथक खाता में वादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से यथावत संयुक्त खाता में रहेगी। अन्य अंक[illegible] किस्म/प्रकृति व राहिन इत्यादि बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री ज[illegible] जाकर

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.04.20[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible]

[illegible]ला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner